उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला–पाली (राज.)

दिनाक.....1.5.....17......
पक्षकारान/वकुलाय उपस्थित।
राज्य सरकार एवं श्रीमान् जिला कलेक्टर, पाली
के निर्देशानुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय के
सेवा केन्द्र पर राजस्व लोक अदालत शिविर का आयोजन
रखा गया है, जिसमें राजस्व न्यायालय के समस्त विचाराधीन
व नवीन राजस्व प्रकरणों का लोक अदालत की भावना के
तहत पक्षकारों के मध्य राजीनामा/समझौता अथवा मेरिट
के आधार पर विधिसम्मत निस्तारण किया जायेगा।
अतः इस पत्रावली से संबंधित दोनों पक्षों को नोटिस
द्वारा सूचित किया जाकर यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत
केम्प ग्राम पंचायत मुख्यालय अटल सेवा केन्द्र.....बांकली.....
पर आयंदा दिनांक.....12/6/17.....को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

राजस्व लोक अदालत केम्प वर्ष-2017

रा.वि. सं.2459/2015 जवानमल बनामः ओटीबाई वगैरह
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट,1955

<u>दिनांक 12.06.2017</u>

वादी जवानमल उपस्थित।

यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार" वर्ष 2017 के दौरान केम्प–अटल सेवा केन्द्र बांकली में बरोज आज पेश हुई। इस पत्रावली से संबंधित मूल वाद पत्रावली रा.वा. सं.543/2015 को वादी द्वारा बरोज आज़ लोक अदालत की भावना से Not-Press में खारिज करवा दी गई है ऐसी स्थिति में इस पत्रावली अन्तर्गत अग्रिम कार्यवाही चलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।

अतः वादी की दलील पर इस पत्रावली की कार्यवाही को भी जरिए Not-Press में खारिज किया जाता है। आदेश बरोज आज दिनाक 12.06.2017 को राजस्व केम्प–बांकली में सुनाया गया। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नंबर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)